

प्रेषक,

डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2018

सूचना अनुभाग-01

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में विभिन्न मदों में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल 2018 एवं सूचना अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-38/XXII/2018-4(2)2010, 31 जनवरी 2018 तथा शासनादेश सं0-130/XXII/2018-4(2)2010, दिनांक 07 मार्च 2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना विभाग के अन्तर्गत अनुदान-14 के विभिन्न मदों में राज्य आकस्मिकता निधि से सूचना विभाग हेतु आहरित धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये बजट प्राविधान से निम्न विवरणानुसार समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि हजार में)

क्र.सं.	शासनादेश संख्या व दिनांक (जिसके माध्यम से आकस्मिकता आहरित की गयी है)	लेखाशीर्षक (अनुदान सं0-14)	समायोजित की जाने वाली धनराशि
1.	सं0-38/XXII/2018-4(2)2010, दिनांक 31 जनवरी 2018 एवं सं0-130/XXII/2018-4(2)2010, दिनांक 07 मार्च 2018	2220-सूचना तथा प्रचार-01-फिल्म-105 फिल्मों का निर्माण-03-अधिष्ठान-31-सामग्री और सम्पूर्ति	14000
2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य-001 निदेशन तथा प्रशासन -03- अधिष्ठान-22-आतिथ्य व्यय		14500	
2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य-101 -विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-05-अधिष्ठान -19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय		201800	
2220-सूचना तथा प्रचार -60-अन्य -106 -क्षेत्र प्रचार-03-अधिष्ठान -02-मजदूरी		700	
2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य-110 -प्रकाशन-03-अधिष्ठान-08-कार्यालय व्यय,		6000	
2220-सूचना तथा प्रचार-60- अन्य-110- प्रकाशन -03-अधिष्ठान-18-प्रकाशन		10000	

	2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य 101-विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-03- गीत एवं नाट्य योजना-08-कार्यालय व्यय	3000
	कुल धनराशि	250000

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से शासनादेश सं0-38/XXII/2018-4(2)2010, 31 जनवरी 2018 के द्वारा ₹ 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) तथा शासनादेश सं0-130/XXII/2018-4(2)2010, दिनांक 07 मार्च 2018 के माध्यम से ₹ 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) अर्थात् कुल आहरित धनराशि ₹ 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की प्रतिपूर्ति संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के विवरणानुसार बजट प्रावधान के माध्यम से संगत मानक मदों में प्रावधानित धनराशि से कर ली गई है।

3- अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से आहरित कुल धनराशि ₹ 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की प्रतिपूर्ति का पुस्तांकन करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी),

संख्या-205 XXII(1)/2018-4(2)2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड डाटा सेन्टर।
- 2- महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अधिकारी, एकीकृत साइबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- एन0आई0सी0, देहरादून, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाइल।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी),